न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 11/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/47

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा	बनाम	श्री संतोष/ मोतीलाल निवासी खेरडाबरा, जिला बांसवाडा

उपस्थित – विभागीय पैरोकार श्री दिलीप गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 05–03–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिला रसद अधिकारी बांसवाडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया गया कि ग्राम पंचायत खेरडाबरा भाग प्रथम के उचित मूल्य दुकानदार संतोष/ मोतीलाल द्वारा राशन सामग्री में अनियमितता की शिकायत दिनांक 10.02.2020 को मिलने पर तात्कालिक प्रवर्तन अधिकारी श्री पवन कुमार अग्रवाल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को शिकायत जांच प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार डीलर संतोष/ मोतीलाल द्वारा बमाह फरवरी 2020 में 24 उपभोक्ताओं को गेहूँ नही देकर या कम मात्रा में गेहूँ देकर एवं फर्जी ट्रांजेक्शन दर्शाकर 11.75 क्विं. गेहूँ, 24.50 लीटर केरोसीन, एवं 3 किग्रा चीनी का दुरुपयोग किया गया है।

वक्त निरीक्षण डीलर के पास 108.17 क्विं गेहूँ स्टॉक में होना चाहिये था। निलम्बित होने के बाद उसके द्वारा 78.48 क्विं. गेहूँ अस्थायी रुप से अधिकृत लेम्पस खेरडाबरा को सुपूर्द किया गया। शेष 29.69 क्विं. गेहूँ सुपूर्द नही किया गया। उक्त गेहूँ उसके गोदाम में भी नही पाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा 41.44 क्विं. गेहूँ, 24.50 लीटर केरोसीन, एवं 3 किग्रा चीनी का एवं दुरुपयोग किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.01 10:38:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 04/2020 दर्ज किया जाकर उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित कर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये।

संतोष/ मोतीलाल द्वारा गेहूँ, केरोसीन एवं चीनी का गबन एवं चीनी का गबन एवं दुरुपयोग करना पाये जाने पर उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर क्रमांक 118/25.11.2021 को दर्ज करवाई गई एवं विभागीय प्रकरण पर सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 29.11.2021 पारित किया जाकर उसका प्राधिकार पत्र सं. 1307/2005 को निरस्त किया गया।

अप्रार्थी डीलर संतोष/ मोतीलाल पूर्व उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खेरडाबरा भाग प्रथम, जिला बांसवाडा द्वारा गबन किए गए 41.44 क्विं गेहूं की जिसकी राशि 2700 रु. प्रति क्विं. की दर से 111888/–रु. 3 किग्रा चीनी जिसकी राशि 40 रु प्रति किग्रा की दर से 120/– एवं 24.50 लीटर केरोसीन जिसकी राशि 29 रु. प्रति लीटर से 710/–रु. इस प्रकार कुल राशि रु. 112718/– वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 स्वीकार करने निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को नोटिस दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र रुपया 112718/–रु. वसूली का जारी किया गया। अप्रार्थी अप्रार्थी की ओर से दिनांक 08.08.2024 को श्री दिलीप कुमार गुप्ता अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि प्रार्थी के खिलाफ प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाडा द्वारा प्रार्थी की दुकान खेरडाबरा पार्ट 2 में गेहूँ कम पाया जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1952 में पुलिस थाना भूंगडा में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। जिसमें पुलिस थाना भूंगडा द्वारा अभी तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा में चालान पेश नही किया है। उक्त मामले में प्रार्थी के खिलाफ कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नही है तथा प्रार्थी को इस मामले में बाईज्जत बरी होने की पूर्ण सम्भावना है। भविष्य में प्रार्थी के खिलाफ अपराध साबित होता है तो दिये गये नोटिस की राशि जमा करवाने सदैव तत्पर रहेगा। उक्त नोटिस कार्यवाही ड्रॉप करने के आदेश फरमावे।

दिनांक 10.01.2025 व 12.02.2025 को उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत खेरडाबरा भाग प्रथम के उचित मूल्य दुकानदार संतोष/ मोतीलाल द्वारा राशन सामग्री में अनियमितता की शिकायत दिनांक 10.

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.01 10:38:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

02.2020 को मिलने पर तात्कालिक प्रवर्तन अधिकारी श्री पवन कुमार अग्रवाल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को शिकायत जांच प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार डीलर संतोष/ मोतीलाल द्वारा बमाह फरवरी 2020 में 24 उपभोक्ताओं को गेहूँ नही देकर या कम मात्रा में गेहूँ देकर एवं फर्जी ट्रांजेक्शन दर्शाकर 11.75 क्विं. गेहूँ, 24.50 लीटर केरोसीन, एवं 3 किग्रा चीनी का दुरुपयोग किया गया। वक्त निरीक्षण डीलर के पास 108.17 क्विं गेहूँ स्टॉक में होना चाहिये था। निलम्बित होने के बाद उसके द्वारा 78.48 क्विं. गेहूँ अस्थायी रुप से अधिकृत लेम्पस खेरडाबरा को सुपूर्द किया गया। शेष 29.69 क्विं. गेहूँ सुपूर्द नही किया गया। उक्त गेहूँ उसके गोदाम में भी नही पाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा 41.44 क्विं. गेहूँ, 24.50 लीटर केरोसीन, एवं 3 किग्रा चीनी का गबन एवं दुरुपयोग किया गया है। संतोष/ मोतीलाल द्वारा गेहूँ, केरोसीन एवं चीनी का गबन एवं चीनी का गबन एवं दुरुपयोग करना पाये जाने पर उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर क्रमांक 118/25.11.2021 को दर्ज करवाई गई एवं विभागीय प्रकरण पर सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 29.11.2021 पारित किया जाकर उसका प्राधिकार पत्र सं. 1307/2005 को निरस्त किया गया।

अप्रार्थी डीलर संतोष/ मोतीलाल पूर्व उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खेरडाबरा भाग प्रथम, जिला बांसवाडा द्वारा गबन किए गए 41.44 क्विं गेहूं की जिसकी राशि 2700 रु. प्रति क्विं. की दर से 111888/–रु. 3 किग्रा चीनी जिसकी राशि 40 रु प्रति किग्रा की दर से 120/– एवं 24.50 लीटर केरोसीन जिसकी राशि 29 रु. प्रति लीटर से 710/–रु. इस प्रकार कुल राशि रु. 112718/– वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 स्वीकार करने निवेदन किया गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में उल्लेखित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी की दुकान खेरडाबरा पार्ट 2 में गेहूँ कम पाया जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1952 में पुलिस थाना भूंगडा में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। जिसमें पुलिस थाना भूंगडा द्वारा अभी तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा में चालान पेश नही किया है। उक्त मामले में अप्रार्थी के खिलाफ कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नही है तथा प्रार्थी को इस मामले में बाईज्जत बरी होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.01 10:38:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि पूर्व उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खेरडाबरा भाग प्रथम, जिला बांसवाडा संतोष/ मोतीलाल द्वारा 41.44 क्विंटल गेहूं, 3 किलो चीनी और 24.50 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओं को वितरीत नही करके खुर्द बुर्द किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा अनियमितताऐं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 02, 09, 11, 14, 15 व 17सी **का व 18 के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के खण्ड 6 (4) का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर** अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना भूंगडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर निर्णय किया जाकर जिला रसद कार्यालय के निर्णय दिनांक 29.11.2021 द्वारा अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1307/2005 निरस्त किया गया है। डीलर के गोदाम में 41.44 क्विं. गेहु, चीनी 3 किग्रा, केरोसीन 24.50 लीटर कम पाया गया, इस प्रकार डीलर द्वारा खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया है। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। 41.44 क्विं. गेहु, चीनी 3 किग्रा, केरोसीन 24.50 लीटर की राशि विभाग अनुसार 112718/– रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संतोष/ मोतीलाल पूर्व उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खेरडाबरा भाग प्रथम, जिला बांसवाडा से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत 41.44 क्विं. गेहु, चीनी 3 किग्रा, केरोसीन 24.50 लीटर की राशि विभाग अनुसार 112718/– रु अक्षरे रुपया एक लाख बारह हजार सात सौ अठ्ठारह रुपया की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.01 10:38:36
Reason: SelfAttested

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner